श्रीगोपाल बनाम मनीष करनाणी
पत्रावली संख्या :– 104 / 2025

7-1-26

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली पर उभयपक्षों को स्थगन प्रार्थना–पत्र एवं प्रार्थना पत्र वास्ते प्रार्थमिक आपत्ति पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट प्रार्थना पत्र वास्ते स्थगन पर बहस करते हुए कथन किए कि अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सींथल तहसील व जिला बीकानेर के खसरा नंबर 803 तादादी 4.81 हैक्टयर में स्थित है। अपीलान्ट श्रीगोपाल को ग्राम सींथल में उपरोक्त राजकीय कृषि भूमि का आवंटन हुआ था तब से अपीलान्ट का शान्तिपूर्वक तरीके से कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व रिकॉर्ड को देखने से पता चला कि उसका नाम श्रीगोपाल की जगह रामगोपाल के नाम का अंकन है। अपीलांट द्वारा वास्ते दुरस्ती प्रार्थनापत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत किया गया जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया जिसकी अपील माननीय संभागीय आयुक्त को कि गई न्यायालय माननीय संभागीय आयुक्त द्वारा इसे स्वीकार तहसीलदार को आदेश दिया गया कि संशोधन किया जावे जिसकी निगरानी माननीय राजस्व मंडल राजस्थान में विचाराधीन है जिसमें रेसपोडेंट संख्या 01 को स्थगन नहीं दिया गया है। अपीलांट के भाई का नाम जगदीश हैं तथा इसको शुद्ध करने की कार्यवाही तहसीलदार के समक्ष दिनांक 26–07–2022 को प्रसतुत हो रखी है तथा अदालत मातहत ने दिनांक 11–05–2023 को इस बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हो गया है तब जगदीश खुद को रामगोपाल पुत्र चम्पालाल बन कर रजिस्ट्री में रामगोपाल उर्फ जगदीश पुत्र चम्पालााल का अंकन कर बिना विधिक अधिकारी के मनीष करनानी रेस्पोडेंट संख्या 01 को विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया जबकि जगदीश का नाम कभी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ही नही था। जब रेसपोडेंन्ट संख्या 01 द्वारा अपनी नाम इंतकाल स्वीकृत किये जाने हेतु संबधित कार्यालय में चाराजोही की व अपीलान्ट के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी की विधि विरूद्ध कोशि की तब अपीलांट द्वारा एक वाद अदालत मातहत के समक्ष पेश किया गया जिसके साथ अपीलांट द्वारा चिर निषेधाज्ञा को प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया जिसमे अपीलांट के पक्ष मे दिनांक 25–07–2023 को अस्थाई चिर निषेधाज्ञा जारी कर दी गई। बाद में दिनांक 23–09–2025 को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जवाब व काउण्टर क्लेम पेश कियाा गया जिसमें बहस व जवाब हेतु दिनांक 07–10–2025 तारीखा प्रदान की गईं। दिनांक 07–1072025 को पत्रावली में आगामी 02–12–2025 नियत की गई। पार्थी द्वारा अपनं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र टीआई को विड्रो किये जाने का प्रस्तुत किया गया दिनांक 02–12–2025 को कांट छांट कर दिनांक 16–10–2025 कर दी गई एवं उसी दिन बिना अपीलांट को जवाब लिए बिना अपीलांट की बहस सुने वादी का प्रार्थना पत्र विड्रो करते हुए प्रतिवादी / रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आदेश जारी कर दिया जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 21–10–2025 को अदालत मातहत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसके द्वारा यह अंकन किया गया था कि उसने दावे व प्रार्थना पत्र को ट्रांसफर किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मंडल राजस्थान में कर रखा हैं अतः प्रार्थना पत्र व दावे को विड्रो करने की अनुमति नही देवे तथा आगामी कार्यवाही कि जावे इस तथ्य से भी यह अंकित है कि 24–10–2025 तक अदालत मातहत द्वारा प्रार्थना पत्र व दावे पर कोई आदेश जारी नहीं किया गया यानि यह बखुबी साबित था कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील बैक डेट में जारी किया है। प्रार्थी/अपीलांट भूमि का कानूनी खातेदार काश्तकार है रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ टीआई आदेश जारी नही किया जा सकता प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार कियाा ाकर अदालत मातहत द्वारा प्रदत अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को अपील के निर्णय तक स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए– एआईआर 2019 एससी पेज 542 पेश किये।

अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी बहस वास्ते स्थगन प्रार्थना पत्र व अभिभाषक अपीलांट को बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 803 तादादी 4.8100 हैक्टेयर जो वाके रोही ग्राम सींथल पटवार हल्का सींथल तहसील जिला बीकानेर में स्थित है। जो रामगोपाल पुत्र चम्पालाल मुंधडा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जमाबंनदी सम्वत् 2074–77 में दर्ज है जो जरिये रजिस्ट्रर्ड बेयनामा दिनांक 24–05–2023 को जगदीश उर्फ रामगोपाल पुत्र चम्पालाल मुंधडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 मनीष करनाणी उक्त वादगत कृषि भूमि खसरा नंबर 803 तादादी 4.8100 हैक्टेयर का एकमात्र मालिक व काबिज है। जो बैयनामा उप पंजीयक बीकानेर तृतीय के यहां दिनांक 24–05–2023 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 67 में पृष्ठ संख्या 54 क्रं.सं. 202303223101229 पर पंजीबद्ध हैं। उक्त वादगत कृषि भूमि में पुराना राजस्व रिकॉर्ड में पुराना खसरा नंबर 602 तादादी 19 बीघा 2 बिस्वा दर्ज था जो सम्वत् 2004 में सुखा वल्द कौम मेघवाल के नाम से दर्ज था तत्पश्चात् सम्वत् 2022 से 2024 उक्त खसरा राजकीय दर्ज था तत्पश्चात् सम्वत् 2027 में उक्त खसरा नंबर 602 तादादी 19 बीघा 2 बिस्वा रामगोपाल पुत्र चम्पालाल कौम मुंधडा साकिन देह गैर खातेदार दर्ज हुआ जो खसरा गिरदावरी सम्वत् 2035 से 2038 में भी रामगोपाल वल्द चम्पालाल के नाम से दर्ज चला आ रहा है। जमाबंदी सम्वत् 2038 से 2041 में भी रामगोपाल वल्द चम्पालाल साकिन देह खातेदार नाम दर्ज चला आ रहा हैं। नामान्तरण संख्या 582 नामान्तरण प्रविष्टि संख्या 618 के द्वारा रामगोपाल वल्द चम्पालाल के नाम खातेदार दर्ज हैं तत्पश्चात् संबंधित आगे की सभी राजस्व रिकॉर्ड में रामगोपाल वल्द चम्पालाल नाम से दर्ज है जो विक्रय

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

दिनांक तक भी रामगोपाल वल्द चम्पालाल के नाम से खातेदारी दर्ज है। रामगोपाल का नाम ही जगदीश हैं व जगदीश का बचपन का बोलता नाम रामगोपाल हैं होने से उनके पिता द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में रामगोपाल ही दर्ज करवा दिया गया। उक्त रामगोपाल व जगदीश दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है तथा वही उसके एकमात्र खातेदार कब्जा काश्तकार हैं। श्रीगोपाल का नाम रामगोपाल नहीं है व श्रीगोपाल उक्त कृषि भूमि के कभी खातेदार या कब्जा काश्तकार नहीं रहे है। जगदीश उर्फ रामगोपाल व श्रीगोपाल के पिता चम्पालाल मुधडा के तीन पुत्र तथा आठ पुत्रियां हुए जिसमें से एक पुत्री का स्वर्गवास हो चुका है। शेष सभी भाई बहन अभी भी मौजुद है। रामगोपाल को बचपन से जगदीश नाम से पुकारा जाता था इस समर्थन में सभी भाई बहनों के शपत्र पत्र भी शामिल मिसल है। वाके रोही सींथल में खेत खसरा नंबर 250 मीन तादादी 13 बीघा 8 बिस्वा व खेत खसरा नंब 252 मीन तादादी 5 बीघा 09 बिस्वा कुल तादादी 18 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित थी। जो कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेयनामार दिनांक 26–02–1980 को स्वयं प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 के पिता चम्पालाल पुत्र हणुताराम द्वारा बहैसियत कुदरी वली रामगोपाल उर्म 15 वर्ष व रामदयाल उम्र 8 वर्ष बताते हुए निष्पादित किया तथा बहस श्रीराम वल्द खेताराम को विक्रय किया। इस प्रकार चम्पालाल के तीन पुत्र जिनका नाम क्रमशः श्रीगोपाल, रामगोपाल, व रामदयाल है। अतः प्रमाणित है कि श्रीगोपाल व रामदयाल अलग अलग व्यक्ति है, तथा रामगोपाल का नाम ही जगदीश है। विधि अनुसार ही रजिस्टर्ड बैयनामा बहक अप्रार्थी संख्या 01 को निष्पादित करवाया गया हैं। अपीलांट क्लीन हैण्ड से माननीय न्याायालय के समक्ष नहीं आये है इसलिए वो किसी प्रकार से कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उक्त वादगत कृषि भूमि रेस्पोडेंट संख्या 01 की जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीदशुदा है जो बैयनामा आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय में निरस्त नहीं किया गया हैं अतः पृथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन अप्रार्थी तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में ही है तथा दौराने कार्यवाही प्रार्थी/अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट को भूमि से बेदखल किया जाता है या राजस्व रिकॉर्ड में फेरबदल किया जाता है अपूरर्णीय क्षति भी रेस्पोडेंट संख्या 1 को कारित होती है। अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए गये– एसबी सीवील रिट प्रीटीशन नंबर 23652/2025, 2024 आईएनएससी 764, रिविजन नंबर 15 डिस्टी. भीलवाडा 1993, रिविजन नंबर 64 सीकर 1970, एसबी सिविल रिट पीटिशन नंबर 4146 2020, 2021(2) सीजे राजस्थान 731, 2023 सुर्पीम आनलाईन 9367, 2022 3 डीएनजे 1091, सिविल अपील नंबर 6284 2011, 2008(2) सीटी राज 867, 1962 (2) सीसीसी 22 एपी, 2001 डीएनजे एससी 326, आरएलडब्ल्यू 1995(2)राज 566, 2008(3)सीसीसी 294 एसीसी, आरआरडी 14–05–2014 पेज 345, 2010 सुर्पीम कॉर्ट राज 904 आदि पेश किये।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते प्रार्थमिक आपति पर बहस करते हुए कथन किया गया कि उपरोक्त अनवानी अपील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट के द्वारा अन्तरिम की अपील में ही स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो भी पोषणीय नहीं है। रेवेन्यू मेनुअल के अनुसार प्रत्येक प्रार्थना पत्र अलग से दर्ज किया जाना अति–आवश्यक है लेकिन मौजुदा अपील में स्थगन प्रार्थना पत्र अपील के साथ ही पेश किया गया जो विधि के किस प्रावधान से किया गया है यह स्पष्ट नहीं है अपीलांट द्वारा अपील जरिये मु.आ. पेश कि गई जबकी दावा स्वयं के द्वारा पेश किया गया हैं इसलिए बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के जरिये मु.आ. अपील विधि विरूद्ध है। अतः प्रार्थमिक आपति पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील मयस्थगन प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।
अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआडी 2014 पेज 345 पेश किया।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थनाप पत्र प्रार्थमिक आपति का मौखिक जवाब देते हुए कथन किए कि अपील कोई भी पेश कर सकता हैं। अभिभाषक अपीलांट ने हाईकोर्ट की नजीर पेश करते हुए कथन किया कि सभी आदेश अपील योग्य होते है। अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा किए गये सभी कथन असत्य है मंनगढत बनाये गये है अतः प्राथमिक आपति प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी पेज 1987 पेश किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अभिभाषक केवियटकर्ता की आपत्ति यह है कि अपीलांट द्वारा अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील पेश की है और इसमें भी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है जबकि अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील संधारणीय नही है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 16–10–2025 के द्वारा प्रश्नगत भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति रखने के आदेश प्रदान किये है तथा पत्रावली वास्ते जवाब काउन्टर टी.आई. आईन्दा दिनांक 27–10–2025 को नियत की गई है। इस स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–10–2025 अंतिम आदेश न होकर अंतरिम आदेश की श्रेणी में आता है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर फुल बेंच के आदेश दिनांक 12.03.2014 जगदीश प्रसाद बनाम भोपालराम आरआरटी 2014 (1) पेज सं0 409 से 443 एवम आरआरटी 2014 (1) माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर अनुवान लाली बनाम रामप्यारी निर्णय दिनांक 02.12.2023 के अनुसार राजस्व अपील अधिकारी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में अपीलीय न्यायालय को अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप नही करना चाहिये जब तक की अधीनस्थ

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय में स्पष्ट त्रुटि और अधिकारिता का दुरूपयोग किया हो । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जब अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक जारी की गयी है के विरूद्ध अपील पोषनीय नही है। विधि अनुसार अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में श्रवण योग्य नही है। अतः हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत होने से खारिज योग्य पाई जाती है ।

प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। अतः माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय के अनुसार प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावे।

उक्त किये गये विवेचन एवम विष्लेषण के आधार पर वादगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध होने के कारण एवम अधीनस्थ न्यायालय का आदेष अंतिम आदेश नही होने के कारण अपील खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर।